

न्यायालय नायब तहसीलदार धोरीमन्ना जिला बाड़मेर

(15)

राजस्थान सरकार जरिए पटवारी हल्का धोरीमन्ना

बनाम

1. कल्याणसिंह वल्द लालसिंह जाति राजपूत निवासी मीठड़ा खुर्द

2. देवाराम वल्द ठाकराराम कौम जाट साकिन मीठड़ा खुर्द

किस्म :- 91 RLR Act. मुकदमा नं 02 सन् 2019 वि.संवत् 2075

निर्णय

दिनांक :- 28-01-2019


पत्रावली का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का मीठड़ा खुर्द ने एक रिपोर्ट इस आशय की पेश कर निवेदन किया है कि गैर सायल ने ग्राम मीठड़ा खुर्द में संवत् 2075 ग्राम मीठड़ा खुर्द तहसील धोरीमन्ना के खसरा न. 578 किस्म गै.मु.ओरण कुल रकबा 67-13 बीघा जो कि अनाधिकृत सरकारी भूमि है, पर माप में 0-04 बीघा भूमि पर अतिचार किया है।

अतः अतिक्रमी के विरुद्ध राजस्थानभू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत बेदखली की कार्यवाही करने का निवेदन किया है।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर गैरसायल को जरिये नोटिस के जरिए तलब किया गया। गैर सायल उपस्थित व उनके द्वारा नामित अधिवक्ता उपस्थित। गैरसायल की ओर से अतिक्रमण स्थल पर अपने हक से संबंधित विधि मान्य साक्ष्य एवं सबूत पेश नहीं हुआ है। गैर सायल द्वारा एक ग्राम पंचायत की पुरानी आबादी के पट्टे की फोटो प्रति पेश की है। जो प्रस्तावित अतिक्रमण स्थल से अलग जगह की होने के कारण मानने योग्य नहीं है।

मेरे द्वारा उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन करने पर जाहिर आया कि गैर सायल द्वारा विवादित भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है। जिससे गैर सायल को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत अतिक्रमी घोषित किया जाता है एवं तत्काल प्रभाव से विवादित भूमि से वेदलख करने के आदेश दिये जाते हैं तथा वार्षिक लगान 01 रुपये रुपये का 50 गुणा, 50 रुपये जुर्माना आरोपित किया जाता है। जो गैरसायल से वसूल किया जावे। तथा मौके पर अतिक्रमण को हटाने के आदेश दिये जाते हैं। टी0आर0ए0 तथा पटवारी हल्का को मांग कायमी एवं बेदखली हेतु लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे।

निर्णय आज दिनांक 28-01-2019 को मुकाम धोरीमन्ना पर सरे इजलास सुनाया गया।

  
तहसीलदार धोरीमन्ना  
जिला बाड़मेर